B.Com. (H)
P2 – AKS(H)
Paper – III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

UNIT – III

CONCEPT AND FEATURES OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS.

A. Negotiable का शाब्दिक अर्थ "सुपुर्दगी द्वारा अन्तरणीय" तथा Instrument शब्द का अभिप्राय "किसी ऐसे लिखित दस्तावेज से है जिससे किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी अधिकार का सृजन होता है।" इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परक्राम्य प्रपत्र (Negotiable Instrument) एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, जिसका अन्तरण सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है।

परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार —

"परक्राम्य प्रपत्र से तात्पर्य किसी ऐसे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक से है जो आदेशानुसार या वाहक को देय हो।"

Sec. 13 में जो परिभाषा दी गई है उससे परक्राम्य प्रपत्र के अनिवार्य लक्षण परिलक्षित नहीं होते है, अत: विशेषताओं के प्रति संकेत करती हुई संभवत: सबसे अधिक व्यापक एवं सर्वांगपूर्ण परिभाषा THOMAS द्वारा दी गई है, जो इस प्रकार है —

परक्राम्य प्रपत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापारिक रीति-रिवाजों या कानून के अनुसार सुपुर्दगी एवं पृष्ठांकन, दोनों के द्वारा इस प्रकार अंतरित किया जा सकता है कि —

(i) उसका धारक उसके संबंध में स्वयं अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है और

(ii) उसे सद्विश्वासपूर्वक एवं प्रतिफल के बदले प्राप्त करने वाले अन्तरिती को प्रपत्र पर पूर्ण

Scanned with CamScanner

एवं श्रेष्ठ स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, भले ही अन्तरक के स्वत्वाधिकार में कोई दोष क्यों न रहा हो।

उपर्युक्त तथ्यों के एवं परिभाषा के आधार पर परक्राम्य प्रपत्र के निम्नलिखित अनिवार्य लक्षण प्रकट होते हैं —

(i) पक्षकारों के बीच बिना किसी औपचारिकता के अन्तरणीय होना।

(ii) अन्तरिती देनदार को सूचित किए बिना स्वयं अपने नाम से वाद प्रस्तुत करना। तथा

(iii) मूल्य के बदले सद्भावी अन्तरिती को श्रेष्ठ स्वामित्व की प्राप्ति होना।—

परक्राम्य प्रपत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रपत्रों को शामिल किया गया है —

(a) प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Notes)
(b) विनिमय पत्र (Bill of Exchange)
(c) चैक (Cheque.)
(d) ट्रेजरी बिल आदि (Treasury Bill) –

(a) प्रतिज्ञा पत्र (PROMISSORY NOTE) :—

Sec. 4 के अनुसार, "प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसपर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें वह किसी निश्चित व्यक्ति को, अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, अथवा प्रपत्र के वाहक को एक निश्चित धन राशी का भुगतान करने का शर्तरहित वचन देता है।"

प्रतिज्ञा पत्र में प्रायः केवल दो ही ~~पक्षकार~~ पक्षकार होते हैं एक लेखक जो वचनदाता होता है तथा दूसरा आदाता। अधिनियम के अनुसार कोई प्रपत्र तभी वैध प्रतिज्ञा पत्र माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित अनिवार्य तत्व विद्यमान होगा —

(i) लिखित रूप में होना।

(ii) भुगतान करने का वचन दिया जाना

(iii) दिया गया वचन शर्त रहित होना।

(iv) प्रपत्र पर वचन दाता (लेखक) का हस्ताक्षर होना।

(v) लेखक एक निश्चित व्यक्ति का होना

(vi) आदाता भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक निश्चित व्यक्ति का होना।

(vii) देय धन राशि भारत की वैध मुद्रा में निश्चित होना। तथा

(viii) प्रपत्र लिखे जाने के स्थान एवं तिथि का उल्लेख होना। —

(b) <u>विनिमय पत्र</u> (BILL OF EXCHANGE):—

Sec. 5 के अनुसार — "विनिमय पत्र एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसपर उसके लेखक के हस्ताक्षर होते है तथा लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को बिना शर्त यह आदेश देता है कि वह केवल किसी निश्चित व्यक्ति को, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या प्रपत्र के वाहक को एक निश्चित धन राशि को Due Date पर भुगतान कर दें।"

विनिमय पत्र में मुख्यतः तीन पक्षकार होते है —

(i) लेखक या धनी (Drawer)
(ii) स्वीकर्ता या ऋणी (Drawee) तथा
(iii) आदाता (Payee).

उक्त पक्षकारों में धनी, प्रपत्र लिखने वाला, ऋणी, प्रपत्र को स्वीकृत करने व भुगतान करने वाला तथा आदाता भुगतान पाने वाला होता है —

Sec. 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा से

आधार पर कोई प्रपत्र तभी वैध विनिमय पत्र माना जाएगा, जब उसमें ~~विन~~ निम्नलिखित अनिवार्य तत्व विद्यमान होगा —

(i) लिखित रूप में होना।
(ii) भुगतान देने का आदेश होना।
(iii) आदेश शर्त-रहित होना
(iv) धनी या लेखक का हस्ताक्षर होना।
(v) पक्षकार निश्चित व्यक्ति होना।
(vi) देय राशि निश्चित होना।
(vii) प्रपत्र में तिथी, प्रतिफल व स्टाम्प विधिवत होना। —

(C) चैक (CHEQUE) :⟶

"Sec. 6 के अनुसार – "चैक एक ऐसा विनिमय पत्र होता है जो किसी विनिर्दिष्ट बैंक के नाम लिखा जाता है और जो माँग पर देय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं बनाया जाता।"

डॉ० हर्ट (Hart) के अनुसार – "एक चैक लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम प्रस्तरित एक ऐसा लिखीत आदेश होता है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को, उसके द्वारा वाहक की माँग करने पर एक निर्दिष्ट राशि के भुगतान करने का आदेश देता है और इसमें उक्त राशि के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य को करने का आदेश नहीं देता है।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में cheque एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वह ~~~~ उसमें किसी व्यक्ति को या आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को या वाहक को, माँग करने पर, उसमें लिखित निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश निर्दिष्ट बैंक को देता है —

Scanned with CamSc

एक cheque में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है —

(i) लिखित प्रपत्र का होना
(ii) आदेश के रूप में होना
(iii) आदेश शर्त रहित होना।
(iv) आदेश निर्दिष्ट बैंक को दिया जाना।
(v) एक निश्चित राशि का होना
(vi) आदाता (Payee) का निश्चित होना
(vii) माँग पर देय होना।
(viii) लेखक का हस्ताक्षर होना आदि।

1 ——

Scanned with CamSc